सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 257/18 **निर्णय दिनांकः– 28.06.2019**

1. राजकुमार पुत्र किशनाराम जाति बिश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. दुर्गाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16–11–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 16–11–2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 3197/19 की 24 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। विवादित भूमि के बाबत् पूर्व में दिनांक 18—06—2010 को देवीलाल को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के यहॉ अपील पेश की गई जो दिनांक 04—07—2014 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की जा चुकी है। जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक वादग्रस्त भूमि के बाबत् उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के निर्देश अथवा निर्णय नहीं किया जाता तब तक उक्त भूमि का आवंटन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति की कोई राय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई। जबकि आवंटन नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी आवंटन बिना आवंटन सलाहकार समिति के नहीं किया जा सकता है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये की गई है। उक्त कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन के उद्वेश्य से की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व अन्य व्यक्ति देवीलाल पुत्र चोखाराम ने वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 197/19 की 24 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आवेदकों की एक समान वरियता होने पर दोनों के मध्य आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जोकि न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत बहाल रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर उक्त निगरानी आज दिनांक तक माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा एडमिट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी जैरकार होने का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इसी भूमि के आवंटन के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो खारिज हो चुकी है। अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी लम्बित होना बताई

गई है, परन्तु अपीलांट के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है तथा न ही स्थगनादेश है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी के समक्ष भूमि के निस्तारण का विकल्प खुला था। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 18—06—2010 को दो आवेदकों की समान वरियता को मामलें में मुरब्बा नम्बर 197/19 को सील्ड बीड से भूमि आवंटन का निर्णय किया जा चुका हैं दो आवेदकों में से एक ने दूसरे के पक्ष में दावा छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट दुर्गाराम के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—11—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर